

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर 2023—भाद्र 23, शक 1945

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-1-पी.एस.जी.-41.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.12	डुप्लीकेट अंकसूची	सहायक निदेशक	वर्ष 2004 से वर्तमान तक प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 15 कार्य दिवस.	निदेशक	1 माह	निरंक
41.13	अंकसूची में संशोधन	सहायक निदेशक	नाम उपनाम में सुधार अनुमोदन उपरांत 30 दिवस.	निदेशक	1 माह	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.14	अंकसूची में सत्यापन	सहायक निदेशक	वर्ष 2004 से वर्तमान तक के प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 30 कार्य दिवस.	निदेशक	1 माह	निरंक
41.15	उत्तरपुस्तिकाओं की पुनर्गणना	सहायक निदेशक	परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है.	निदेशक	1 माह	निरंक
41.16	उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराना	सहायक निदेशक	परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है.	निदेशक	1 माह	निरंक
41.17	मान्यता सम्बद्धता	सहायक निदेशक सम्बद्धता	कक्षा एल.के.जी. से कक्षा उत्तरमध्यमा 12वीं तक जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात् समय सीमा 40 दिवस.	निदेशक	1 माह	निरंक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.